

अपीलवाद सं०-०२/२०१६
कृषि विभाग, बिहार, पटना

विषय:- मे० कृष्णा जैविक उद्योग, मधुबनी द्वारा वैद्यता तिथि के अंदर अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन समर्पित नहीं किये जाने के पश्चात् प्रधान सचिव के समक्ष अपील।

तिथि	अपीलीय प्राधिकार का आदेश एवं हस्ताक्षर
16.09.2016 29.09.2016	<p>मे० कृष्णा जैविक उद्योग, प्रो०-श्री संजय कुमार चौधरी, ग्राम+पो०-खिरहर, प्रखंड-हरलाखी, जिला-मधुबनी के वर्मी कम्पोस्ट विनिर्माण अनुज्ञप्ति सं०-273, दिनांक-11.06.2013 एवं विपणन अनुज्ञप्ति सं०-69, दिनांक-11.06.2013 वैद्यता तिथि-10.06.2016 के नवीकरण हेतु वैद्यता तिथि तक आवेदन समर्पित नहीं किया गया तथा वैद्यता तिथि के एक माह तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन समर्पित नहीं किया गया, जिस कारण से कृषि निदेशक, बिहार, पटना का पत्रांक-3182, दिनांक-28.07.2016 द्वारा इनके विनिर्माण एवं विपणन अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। तत्पश्चात् मे० कृष्णा जैविक उद्योग, मधुबनी द्वारा प्रधान सचिव, कृषि के समक्ष अपील दायर किया गया है।</p> <p>मे० कृष्णा जैविक उद्योग, प्रो०-श्री संजय कुमार चौधरी, ग्राम+पो०-खिरहर, प्रखंड-हरलाखी, जिला-मधुबनी ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मेरे एक अत्यन्त नजदीकी रिश्तेदार के गंभीर रूप से दिल्ली में बीमार हो जाने के कारण मैं लम्बे समय तक दिल्ली में ही रहा, जिस कारण से वर्मी कम्पोस्ट विनिर्माण एवं विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकरण हेतु वैद्यता तिथि तक आवेदन समर्पित नहीं किया जा सका।</p> <p>कृषि निदेशालय के प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी, श्री अशोक प्रसाद, संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस, बिहार, पटना-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग द्वारा अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि मे० कृष्णा जैविक उद्योग, मधुबनी के द्वारा वर्मी कम्पोस्ट विनिर्माण एवं विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन वैद्यता तिथि (10.06.2016) तक आवेदन समर्पित नहीं किया गया। उद्योगी द्वारा वैद्यता तिथि (10.06.2016) के एक माह तक विलंब शुल्क के साथ भी आवेदन समर्पित नहीं किया गया। उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के खंड-11 (3) के अनुसार कोई भी प्रतिष्ठान वैद्यता तिथि समाप्ति के एक महीने के अंदर विलंब शुल्क के साथ आवेदन समर्पित करती है तो उसके आवेदन पर विचार किया जायेगा एवं 11 (5) के अनुसार कोई भी प्रतिष्ठान वैद्यता तिथि के एक महीने तक आवेदन समर्पित नहीं करता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के तहत स्वतः Expired समझा जायेगा।</p> <p>तत्पश्चात् प्रतिष्ठान द्वारा बताया गया कि वर्मी कम्पोस्ट अनुज्ञप्ति की वैद्यता तिथि 10.06.2016 के समाप्ति के एक माह के अंदर दिनांक-08.07.2016 को नवीकरण करने हेतु कार्यालय आया तो उस दिन प्रतिबंधित अवकाश रहने के कारण कोषांगार चालान जमा नहीं किया जा सका। साथ ही प्रतिष्ठान द्वारा समय पर नवीकरण हेतु आवेदन समर्पित नहीं किये जाने की गलती को क्षमा करते हुए विनिर्माण एवं विपणन अनुज्ञप्ति को नवीकरण का आदेश देने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>आदेश- मे० कृष्णा जैविक उद्योग, प्रो०-श्री संजय कुमार चौधरी, ग्राम+पो०-खिरहर, प्रखंड-हरलाखी, जिला-मधुबनी पूराने वर्मी कम्पोस्ट व्यवसायी हैं। इन्हें वर्मी कम्पोस्ट अनुज्ञप्ति नवीकरण के संबंध में सारी जानकारी होनी चाहिए। इनके द्वारा किये गये क्षमा याचना को स्वीकार किया जाता है। साथ ही चेतावनी दिया जाता है कि इसकी पुनर्वृत्ति भविष्य में नहीं किया जाय। उक्त वर्मी कम्पोस्ट विनिर्माण एवं विपणन अनुज्ञप्ति को नवीकरण करने का आदेश दिया जाता है।</p>

ह०/-
(सुधीर कुमार)
सचिव, कृषि,
बिहार, पटना

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

ज्ञापांक-

4228

/कृ०, पटना, दिनांक ०५-१०-२०१६

प्रतिलिपि:- मे० कृष्णा जैविक उद्योग, प्रो०-श्री संजय कुमार चौधरी, ग्राम+पो०-खिरहर, प्रखंड-हरलाखी, जिला-मधुवनी को सूचनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature] 10.16

(अशोक प्रसाद)

वरीय प्रभारी पदाधिकारी,

जैविक प्रोत्साहन कोषांग,

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

/कृ०, पटना, दिनांक ०५-१०-२०१६

ज्ञापांक-

4228

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature] 10.16

(अशोक प्रसाद)

वरीय प्रभारी पदाधिकारी,

जैविक प्रोत्साहन कोषांग,

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

/कृ०, पटना, दिनांक ०५-१०-२०१६

ज्ञापांक-

4228

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature] 10.16

(अशोक प्रसाद)

वरीय प्रभारी पदाधिकारी,

जैविक प्रोत्साहन कोषांग,

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना